संख्याः 7/2021/ 256/सत्रह-म-2021-6-9 (9)/2020

प्रेषक,

एस0एम0ए0 रिजवी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांकः 11 फरवरी, 2021

विषयः वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के24/रा016/पुरूष लाभार्थी-60के0+रा0) हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-64 /नि0शा0/,2020-21,दिनांक 19 जनवरी,2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101-अर्न्तदेशीय मछलीपालन,01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं,0102- ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना, 20- सहायता अनुदान-सामान्य(गैरवेतन)मद तथा 35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान मद से 0103-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)(के24/रा016/ पुरूष लाभार्थी-60के0 +रा0) में रू0 970.06 लाख का पुनर्विनियोग प्रस्ताव बी0एम0-9 प्रपत्र सहित उपलब्ध कराते हुए वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101-अर्न्तदेशीय मछलीपालन,01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0102-ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना, 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) मद में हो रही सम्भावित बचत से धनराशि रू0 500.00 लाख तथा 35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन अनुदान मद में हो रही सम्भावित बचत से धनराशि रू0 470.06 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 970.06 लाख का 0103-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0 वाई0)(के24/रा016/ पुरूष लाभार्थी-60के0 +रा0) में संलग्न बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्रानुसार पुनर्विनियोग करते हुए रू0 970.06 लाख (रू0 नौ करोड सत्तर लाख छः हजार मात्र) की धनराशि को निम्न

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

16 परियोजनाओं हेतु श्री राज्यपाल महोदय अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	परियोजना का नाम/ वित्त पोषण	इकाई (हे0/सं0)	इकाई लागत	कुल परियोजना लागत	केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित			निर्गत की जाने वाली धनराशि (रू0 लाख में)			अभ्युक्ति
					केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	खारे पानी में नये तालाबों का निर्माण (के024+रा016+ पु0ला0-60-के0+रा0)	45.00	8.00	360.00	86.40	57.60	216.00	86.40	57.60	144.00	निदेशक मत्स्य के पत्र संख्या 64 -/नि0शा0/ 21-2020 19 दिनांक जनवरी,2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपदवार फांट/ संलग्नकों के अनुसार।
2	खारे पानी में नये तालाबों में निवेश (के024+रा016+ पु0ला0-60-के0+रा0)	45.00	6.00	270.00	64.80	43.20	162.00	64.80	43.20	108.00	
3	बृहद आर0ए0 एस0/बायोफलाक का निर्माण (के024+रा016+ पु0ला0-60-के0+रा0)	26	50.00	1300.00	312.00	208.00	780.00	124.80	83.20	208.00	
4	मध्यमाकार आर0ए0एस0/ बायोफलाक का निर्माण (के024+रा016+ पु0ला0-60-के0+रा0)	10	25.00	250.00	60.00	40.00	150.00	24.00	16.00	40.00	
5	लघु आर0ए0 एस0/ बायोफलाक का निर्माण (के024+रा016+ पु0ला0-60-के0+रा0)	39	7.50	292.50	70.20	46.80	175.50	70.20	46.80	117.00	

http://shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6	खुले जलक्षेत्रों में पेन कल्चर (के024+रा016+ पु0ला0-60-के0+रा0)	7.00	3.00	20.70	4.97	3.31	12.42	4.97	3.31	8.28	
7	इनसुलेटेड वाहन (के024+रा016+ पु0ला0-60-के0+रा0)	5	20.00	100.00	24.00	16.00	60.00	24.00	16.00	40.00	
8	मोटर साइकिल विद आइस बाक्स (के024+रा016+ पु0ला0-60-के0+रा0)	33	0.75	24.75	5.94	3.96	14.85	5.94	3.96	9.90	
9	साइकिल विद आइस बाक्स (के024+रा016+ पु0ला0-60-के0+रा0)	322	0.10	32.20	7.73	5.15	19.32	7.73	5.15	12.88	
10	थ्री व्हीलर विद आइस बाक्स (के024+रा016+ पु0ला0-60-के0+रा0)	17	3.00	51.00	12.24	8.16	30.60	12.24	8.16	20.40	
11	लघु मिलों की स्थापना (उत्पादन क्षमता 2 टन /दिन) (के024+रा016+ पु0ला0-60-के0+रा0)	7	30.00	210.00	50.40	33.60	126.00	20.16	13.44	33.60	
12	मध्यमाकार मिलों की स्थापना (उत्पादन क्षमता 8 टन /दिन) (के024+रा016+ पु0ला0-60-के0+रा0)	2	100.00	200.00	48.00	32.00	120.00	19.20	12.80	32.00	

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13	वृहद मिल की स्थापना (उत्पादन क्षमता 20 टन /दिन) (के024+रा016+ पु0ला0-60-के0+रा0)	1	200.00	200.00	48.00	32.00	120.00	19.20	12.80	32.00	
14	फिश फीड प्लान्ट की स्थापना (उत्पादन क्षमता 100 टन /दिन) (के024+रा016+ पु0ला0-60-के0+रा0)	1	650.00	650.00	156.00	104.00	390.00	62.40	41.60	104.00	
15	फिनफिश हैचरियों की स्थापना (के024+रा016 +पु0ला0-60-के0 +रा0)	10	25.00	250.00	60.00	40.00	150.00	2.40	1.60	4.00	
16	मत्स्य कियोस्क की स्थापना (के024+रा016+ पु0ला0-60-के0+रा0)	14	10.00	140.00	33.60	22.40	84.00	33.60	22.40	56.00	
		कुल योग-		4351.15	1044.28	696.18	2610.69	582.04	388.02	970.06	

(रू0 नौ करोड सत्तर लाख छः हजार मात्र)

(1) भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(4) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(5) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है,उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149-दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020,पत्र संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, पत्र संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020दिनांक11.04.2020एवं पत्र संख्या-6/2020/बी-1-218/दस/2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 तथा शासनादेश दिनांक 06.06.1994 में दिये गये दिशा- निर्देशों /प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/ बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(9) मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई-टेण्डर /जेम पोर्टल विषयक दिशा- निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण की नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(11)भारत सरकार के पत्रांक जे0- 18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2020 के प्रस्तर- 3 (।।) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करते तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(12) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व अद्यतन निर्धारित प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(15) धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है,जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(16) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

3- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन,101-अन्तर्देशीय मछली पालन-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं,-0103- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना(पी0एम0एम0एस0वाई0) (के0 24 /रा016 /पुरूष लाभार्थी-60 के0+रा0), 20- सहायता अनुदान –सामान्य (गैरवेतन) के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-304 आर0 ई083/ ई-1-दस-2021, दिनांक 29 जनवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक – प्रपत्र बी0एम0-9 भाग-1

भवदीय

(एस0एम0ए0 रिजवी)
विशेष सचिव।

संख्या-7/2021/ 256(1) /सत्रह-म-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5- सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 दो प्रतियों में) /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म-बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्ताव-158 देखें)

अनुदान संख्या- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध (मत्स्य) वित्तीय वर्ष 2020-21

प्रपत्र बी0एम0-9

(धनराशि रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान विनियोग/	आवेदन प्रपत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान (5-2)विनियोग /
1	2	3	4	5	6
2405-मछली पालन,101-अन्तर्देशीय मछली पालन,01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं,-0102 ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डवेलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना, -20 सहायता अनुदान –सामान्य (गैरवेतन) (240500101010220)	5000.00	500.00	500.00	500.00	4500.00
2405-मछली पालन,101-अन्तर्देशीय मछली पालन,01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं,-0102 ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डवेलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना-35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान मद (240500101010235)	1200.00	700.00	470.06	470.06	729.94
योग -	6200.00	1200.00	970.06	970.06	5229.94

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।

लेखा शीर्षक (डिजिट को 15)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदानविनियोग/	वित्तीय वर्ष में प्रत्यावर्तित कुल व्यय	सक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (8-9)	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान(11+8) विनियोग /
7	8	9	10	11	12
2405-मछली पालन, 101- अन्र्देशीय मछली पालन, 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के024/रा0 16/ पुरूष लाभार्थी-60 के0+रा0),20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) (240500101010320)	0.00	970.06	970.06	970.06	-
योग -	0.00	970.06	970.06	970.06	-

1- स्तम्भ-3 मे उपलब्ध बचत का कारण।

संख्या- 304 आर0ई0 83 / ई-1-दस-2021 दिनांकः 29 जनवरी,2021

(क) भारत सरकार द्वारा ब्लू रिवोल्यूशन योजना के स्थान पर नवीन प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना लागू कर दिये जाने के कारण उक्त धनराशि का व्यय किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

(क) उक्त योजना में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष धनराशि की आवश्यकता के दृष्टिगत व्यय है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर सं0 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है

हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम-कृपा शंकर यादव (अनु सचिव)
प्रशासकीय विभागः मत्स्य विभाग

हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम- (पूर्णिमा बेदार श्रीवास्तव)
अनु सचिव, वित्त।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्याः 7/2021/ 256(1)/सत्रह-म-2021 दिनांकः 11 फरवरी,2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ।
2- सम्बंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
4- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में) ।
5- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-1
6- गार्ड फाइल।

हस्ताक्षर .....
नाम व पदनाम- कृपा शंकर यादव (अनु सचिव)
प्रशासकीय विभाग- मत्स्य विभाग ।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।